



## राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

**अपील संख्या: - 1711/2018**

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
जगदीश नारायण पाण्डे 265/275, गोविन्द नगर पूर्व, आमेर रोड,, जयपुर, राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक आयुक्त खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर

### द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 09-04-2018

1. अपीलार्थी उपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से प्रगति आसोपा उपस्थित।
3. मैंने उभय पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 10-05-2017 के द्वारा आदेश दिनांक 03-05-2017, निर्णय दिनांक 19-12-2016, सेवा निवृत्ति से पूर्व के परिलाभ आदि के बारे में 5 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।
5. सुनवाई के दौरान अपीलार्थी ने बताया कि प्रत्यर्थी ने समय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। सूचना के लिए पत्र दिनांक 14-06-2017 से 48 रूपये की मांग की गई जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों में नियत समय के बाद की गई है। अपीलार्थी का आवेदन विभाग में किसी कार्यवाही के अनुसार राज्य लोक सूचना अधिकारी के पास कब पहुंचता है इसका अपीलार्थी से कोई संबंध नहीं है, रूपयों की मांग गलत की गई है एवं जो सूचना दी है बिन्दु संख्या 1 से 4 वह अपूर्ण है, सही सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी को पत्र दिनांक 14-06-2017 से बिन्दु संख्या 1 से 4 की सूचना उपलब्ध कराई गई है तथा बिन्दु संख्या 5 के लिए 48 रूपयों की मांग की गई, जो अपीलार्थी द्वारा जमा नहीं कराने के कारण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। प्रथम अपील पेश करने पर निर्णय दिनांक 05-07-2017 से अपील खारिज की गई है।
6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 28-03-2018 प्रस्तुत किया है जिसकी प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की गई है। अपीलोत्तर के साथ

पत्र दिनांक 14-06-2017, 27-03-2018, प्रथम अपील निर्णय दिनांक 05-07-2017 की प्रति संलग्न की गई है।

7. अपीलार्थी को आवेदन की बिन्दु संख्या 3 की सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। बिन्दु संख्या 5 के बाबत शुल्क की मांग की गई है। प्रत्यर्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि बिन्दु संख्या 3 के क्रम में अभिलेखानुसार उपलब्ध सूचना निशुल्क दी जावे तथा यदि अपीलार्थी आदेश प्राप्ति के 21 दिवस में बिन्दु संख्या 5 के क्रम में वांछित शुल्क जमा करा देवे तो सूचना अभिलेखानुसार अधिप्रमाणित एवं हस्ताक्षरित कर, जरिये पंजीकृत डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें।

8. अस्तु, वर्तमान अपील उपरोक्तानुसार निस्तारित की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)  
मुख्य सूचना आयुक्त